

डॉ. राधाकृष्णन राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय

सौम्य मार्ग, गाँधीनगर, जयपुर-302015 फोन नं. :- 0141-2707694

शोध-कक्ष/ केबिन सदस्यता

आवेदन-पत्र

(शोध एवं प्रतियोगी परीक्षा हेतु)

महोदय,

1. मैं पुस्तकालय के शोधकक्ष/केबिन की सदस्यता का/की प्रार्थी हूँ। मैंने शोध-कक्ष/केबिन के पृष्ठांकित नियम ध्यानपूर्वक पढ़े हैं तथा उनके पूर्णतया पालन करने की प्रतिज्ञा करता/ करती हूँ। मेरा विवरण एवं पता निम्न प्रकार है:-

नाम.....आत्मज/आत्मजा/पत्नी श्री.....

जन्म तिथि.....आयु.....शिक्षा.....

व्यवसाय.....स्थाई पता.....

वर्तमान पता.....

फोन नं.....मो.....

शोध/प्रतियोगी परीक्षा का विवरण.....

पुस्तकालय सदस्यता क्रमांक.....

हस्ताक्षर प्रार्थी

2. व्यक्तिगत प्रतिभूति (जमानत) राजपत्रित अधिकारी जो कि नगर निगम की सीमा में कार्यरत हो, की प्रतिभूति ही स्वीकार की जाएगी।

मैं.....आत्मज/आत्मजा/श्री.....

पूरा पता (निवास).....

कार्यालय.....में.....के पद पर कार्य करता/

करती हूँ। फोन नं.....(कार्यालय).....निवास।

मैं श्री/सुश्री/श्रीमती.....आत्मज/आत्मजा

/पत्नीश्री.....के पुस्तकालय नियमों एवं दायित्वों

का उत्तरदायित्व लेता/लेती हूँ।

जमानतकर्ता (राजपत्रित/शोध गाइड के हस्ताक्षर मय मुहर)

शोध-कक्ष/केबिन सदस्यता हेतु नियमावली

1. शोधकक्ष के उपयोग के लिए पाठक को इस पुस्तकालय की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। जिसका पूर्व में पृथक से पुस्तकालय सदस्यता का फार्म भरा जाएगा।
2. शोधकक्ष केवल शोधार्थी एवं प्रतियोगी को ही उपयोग हेतु दिए जाएंगे।
3. शोधकक्ष का उपयोग पुस्तकालय के समयानुसार प्रातः 8.00 बजे से 6.00 बजे सायं तक ही करने दिया जाएगा।
4. केबिन 15 दिवस के लिए ही उपलब्ध कराया जाएगा जिसका पुस्तकालय विकास शुल्क के रूप में 100/- (एक सौ रु.) जमा करवाना होगा। तथा अगले 15 दिवस हेतु अतिरिक्त 100/- (एक सौ रु.) एवं प्रार्थना पत्र जमा करवाना होगा। इसके पश्चात केबिन प्राथमिकता एवं उपलब्धता के आधार पर ही दिया जाना संभव होगा।
5. प्रार्थी अपने साथ स्वयं की पाठ्य सामग्री ला सकता है किन्तु उसे आते व जाते समय समस्त सामग्री वाचनालय प्रभारी व बाहरी काउन्टर पर चैक करानी होगी। पाठ्य सामग्री खुली लेकर जावें।
6. प्रार्थी केबिन में केवल स्वयं ही अध्ययन करें एवं अपने अध्ययन सामग्री का स्वयं ही ध्यान रखें। अन्य पाठक के होने पर प्रार्थी की सदस्यता समाप्त ही जा सकती है।
7. पुस्तकालय के नियमों की अवहेलना करने पर प्रार्थी की सदस्यता समाप्त कर शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
8. केबिन सदस्यता रसीद वाचनालय प्रभारी को दिखाने पर ही केबिन में बैठने की अनुमति दी जाएगी।
9. अवकाश के दिन केबिन का उपयोग नहीं करेंगे।
10. शोधार्थी/परीक्षार्थी अन्तिम उर्तीण कक्षा की अंकतालिका की फोटो प्रति संलग्न करें।
11. राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा। बिना पूर्व सूचना के सदस्यता निरस्त की जा सकती है।

राज्य पुस्तकालयाध्यक्ष
राज्य केब्न्डीय पुस्तकालय
गाँधीनगर, जयपुर